मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ)
"मंत्रालय"

क्रमांक एफ 1-2/2009/4(2)/रा.पु.प्र. भोपाल, दिनांक 29/04/2009

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
   शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
3. समस्त संभागीय आयुक्त,
4. समस्त कलेक्टर्स.

विषयः-मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ राज्य की सेवा के गैर-राज्य स्तरीय संवर्गो के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों का आपसी स्थानान्तरण की सुविधा।

संदर्भः- राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ का परिपत्र क्रमांक एफ 1-2/2006/4(2)रापुप्र/1 दिनांक 03.10.2006।

- - -

संदर्भित निर्देश द्वारा मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ राज्य की सेवा के गैर-राज्यस्तरीय संवर्ग (Non-State Cadre) के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये पारस्परिक स्थानान्तरण की सुविधा छत्तीसगढ शासन की सहमति से दिनांक 3.10.2006 से 2.10.2008 तक निर्धारित थी जिसमें दोनों राज्यों के अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त अवधि तक के लिये पारस्परिक स्थानान्तरण की सुविधा दी गई थी। उक्त अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त छत्तीसगढ शासन द्वारा लिये गये निर्णय के तारतम्य में मध्यप्रदेश शासन द्वारा भी यह निर्णय लिया गया है कि "गैर-राज्यस्तरीय संवर्ग के शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के आपसी स्थानान्तरण अन्य कारणों के तहत अत्यन्त आवश्यक हो तो छत्तीसगढ/मध्यप्रदेश शासन के प्रशासकीय विभागों की

सहमति उपरान्त छत्तीसगढ/मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभागों की सहमति प्राप्त कर केडर स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।''

2/- उक्तानुसार आपसी स्थानान्तरण की कार्यवाही अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर से प्राप्त ऐसे अभ्यावेदनों पर की जा सकेगी जिसमें पारिवारिक कारणों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होने का लेख किया गया हो।

3/- अन्य नियम एवं शर्तें पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 3.10.2006 अनुसार भी रहेगीं।

29/4/09
(पी. के. सिद्धार्थ)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग (रापुप्र)

पृ. क्रमांक एफ 1-2/2009/4(2)/रा.पु.प्र. भोपाल, दिनांक 29/04/2009

प्रतिलिपि

अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ 1-1/2003/1-7 दिनांक 31.3.2009 के संदर्भ में अग्रेषित।

29/4/09
(पी. के. सिद्धार्थ)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग (रापुप्र)